सुविधा | बड़े शहरों के बाहरी क्षेत्रों के लिए विकास शुल्क आधा करने की संस्तुति, कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी नियमावली

यूपी में टाउनशिप-उद्योग लगाना अब और आसान होगा

■ विजय वर्मा

लखनऊ। लखनऊ सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अब नई टाउनशिप उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगाना आसान होने जा रहा है। इसके लिए नई नियमावली बना ली गई है, इसमें डेवलपमेंट (विकास) शुल्क में 50 प्रतिशत तक की कटौती का प्रस्ताव है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में बनी प्रदेश स्तरीय समिति ने इसे अंतिम रूप दिया है। शासन से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। फिर पूरे प्रदेश में लागू होगी।

एलडीए अभी 2462 रुपये प्रति वर्ग मीटर से विकास शुल्क लेता है। यही दर राजधानी के हर इलाके में है। ऐसे में शहर के बाहर टाउनशिप या उद्योग लगाने से निवेशक पीछे हटते हैं। नई नियमावली में विकास शुल्क लगभग 1200 रुपये से भी कम हो जाएगा।

लागत घटने पर सस्ते प्लॉट-मकान मिलेंगे

■ एलडीए वीसी की अध्यक्षता में बनी प्रदेश स्तरीय कमेटी ने बनाई नियमावली

लोकेशन अनुसार शुल्क

एलडीए के प्रस्ताव अनुसार विकास शुल्क लोकेशन-वाइज होगा। शहर के नजदीकी या हाइवे से जुड़े इलाकों में शुल्क अधिक, बाहरी-पिछड़े क्षेत्रों में कम होगा। इससे बीकेटी, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनीनगर आदि बाहरी इलाकों में छूट अधिक होगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पेट्रोल पंप, होटल, गोदाम विकसित करना सस्ता होगा। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इससे संतुलित शहरी विकास को बल मिलेगा। रिपोर्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी।

खाली 8235 भूखंड वापस होंगे

■ शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिकीकरण के नाम पर जमीनें आवंटित कराने के खेल पर जल्द सख्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग ऐसे 8235 खाली भूखंडों के आवंटन रद करने की तैयारी में है, जिन्होंने जमीन लेकर बरसों बाद भी औद्योगिक इकाई नहीं लगाई है। खाली भूखंडों के सर्वे में 33493 में से 8235 भूखंड खाली मिले हैं। इनका आवंटन जल्द निरस्त कर दूसरों को देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के 77 प्रतिशत 33,493 भूखंडों के सर्वे में 25 प्रतिशत खाली हैं। सर्वे में 15 प्रतिशत भूखंडों पर ही उद्योग लगा मिला है। वाजिब वजह न बताने का आवंटन निरस्त हो जाएगा।

अथॉरिटी सर्वे खाली फीसद

नोएडा	7742	497	06%
ग्रेटर नोएडा	2677	416	16%
यीडा	3476	3264	94%
यूपीसीडा	18362	3667	20%
गीडा	782	290	37%
सीडा	454	101	22%